



# उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0(आर्यु0यू0चिकि0)/08/2020-21/123

दिनांक 11 मार्च, 2022

आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित), चिकित्साधिकारी (यूनानी) के रिक्त 01 पद, चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) के रिक्त 01 पद तथा प्रबन्धक स्टेट फार्मसी के रिक्त 01 पद हेतु विज्ञापन

## चिकित्साधिकारी (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) परीक्षा- 2022

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	---	11 मार्च, 2022 (शुक्रवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	---	16 मार्च 2022 (बुधवार)
ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	---	05 अप्रैल, 2022 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक)

### पदों का विवरण

01. रिक्तियों का विवरण:- आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) के रिक्त 253 (बैकलॉग सहित), चिकित्साधिकारी (यूनानी) के रिक्त 01 (बैकलॉग) पद, चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) के रिक्त 01 पद तथा प्रबन्धक स्टेट फार्मसी के रिक्त 01 पद है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0 सं0	पदकोड	पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	सामान्य/ अनारक्षित	कुल
1	101	चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद)	₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)	87	01	37	12	116	253
नोट: उपरोक्त 253 पदों में से 107 पद बैकलॉग के हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के रिक्त 74 पद (उत्तराखण्ड महिला 15 पद, दिव्यांगजन 03 पद, पूर्व सैनिक 03 पद तथा उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित 01 पद), अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के रिक्त 01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 28 पद (उत्तराखण्ड महिला 13 पद, दिव्यांगजन 03 पद तथा पूर्व सैनिक 01 पद) तथा सामान्य/अनारक्षित दिव्यांगजन के रिक्त 04 पद सम्मिलित है।									
2	102	चिकित्साधिकारी (यूनानी) (बैकलॉग)	₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)	01	00	00	00	00	01
3	103	चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)	00	00	00	00	01	01
4	104	प्रबन्धक स्टेट फार्मसी	₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)	00	00	00	00	01	01

02. क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है—

1. चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद) :- रिक्त 253 पद (बैकलॉग सहित) , पदकोड— 101

क्र० सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व०सं० से० आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	अनुसूचित जाति	87	15	03	03	01	—	65
2.	अनुसूचित जनजाति	01	—	01	—	—	—	—
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	37	15	03	01	—	—	18
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	12	03	—	—	—	—	09
5.	सामान्य/अनारक्षित	116	33	08	05	02	05	63
योग		253	66	15	09	03	05	155

नोट: उपरोक्त 253 पदों में से 107 पद बैकलॉग के हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के रिक्त 74 पद (उत्तराखण्ड महिला 15 पद, दिव्यांगजन 03 पद, पूर्व सैनिक 03 पद तथा उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित 01 पद), अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजन के रिक्त 01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 28 पद (उत्तराखण्ड महिला 13 पद, दिव्यांगजन 03 पद तथा पूर्व सैनिक 01 पद) तथा सामान्य/अनारक्षित दिव्यांगजन के रिक्त 04 पद सम्मिलित है।

2. चिकित्साधिकारी (यूनानी) :- रिक्त 01 पद, पदकोड— 102

क्र० सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व०सं० से० आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	अनुसूचित जाति	01	00	00	00	00	00	01
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	सामान्य/अनारक्षित	00	00	00	00	00	00	00
योग		01	00	00	00	00	00	01

3. चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा):- रिक्त 01 पद, पदकोड— 103

क्र० सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व०सं० से० आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	सामान्य/अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
योग		01	00	00	00	00	00	01

4. प्रबन्धक स्टेट फार्मसी:- रिक्त 01 पद, पदकोड- 104

क्र० सं०	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक 05%	उत्तराखण्ड के स्व०सं०से० आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	अनुसूचित जाति	00	00	00	00	00	00	00
2.	अनुसूचित जनजाति	00	00	00	00	00	00	00
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	00	00	00	00	00	00
5.	सामान्य/अनारक्षित	01	00	00	00	00	00	01
योग		01	00	00	00	00	00	01

03. वेतनमान:-

- चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद):- ₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)
- चिकित्साधिकारी (यूनानी):- ₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)
- चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा):- ₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)
- प्रबन्धक स्टेट फार्मसी:- ₹ 56,100- 1,77,500 (लेवल 10)

04. पद का स्वरूप:-राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

05. शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता:-  
अनिवार्य अर्हता:-

क्र०सं०	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
1	साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद)	<p>(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक में उपाधि। या भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।</p> <p>(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकरण और</p> <p>(ग) राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप।</p>

- 2 चिकित्साधिकारी (यूनानी) (क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यूनानी तिब में उपाधि।  
या  
भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।  
(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकरण और  
(ग) राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप।
- 3 चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) (क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो एवं योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा।  
(ख) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान।  
अधिमानी : किसी मान्यता प्राप्त संस्था से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।
- 4 प्रबन्धक स्टेट फार्मैसी (क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में उपाधि।  
या  
भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।  
(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकरण और  
(ग) राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप।

**अधिमानी अर्हताएं:-**

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
  2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
06. अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैद्य/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
07. आयु— आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2021 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए।

उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, दिव्यांग व्यक्तियों को समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार उच्चतम आयु सीमा में उतनी छूट होगी जितनी अनुमन्य होगी। पूर्व सैनिकों को पूर्व सैनिकों हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में भी उतनी छूट अनुमन्य होगी, जितनी शासन द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों में विहित होगी।

परन्तु उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 264/xxx(2)/2021-30(10)2019, दिनांक 27 अगस्त 2021 द्वारा सीधी भर्ती के समूह 'ख' के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमवाली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में 01 वर्ष की छूट प्रदान की गई है।

08. राष्ट्रीयता :-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो: या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो: या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानियो (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

**टिप्पणी** : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायें या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायें।

09. चरित्र- सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान करेगा।

**टिप्पणी**: संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में नियंत्रणाधीन निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. वैवाहिक प्रारिथिति- पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

11. **शारीरिक स्वस्थता**— किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—दो, भाग— तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

परन्तुक यह कि The right of persons with Disability act- 2016, (अधिनियम संख्या—49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा— 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा— 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगजनों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

12. **आरक्षण**— अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा:

(क) लम्बवत (Vertical) एवं क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु बोर्ड की वेबसाईट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) देखें।

(ख) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

(ग) शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। "अनाथ बच्चों" से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता—पिता एवं माता—पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है।

शासन के पत्र संख्या 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता—पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई

योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रणीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

- (घ) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- (ङ) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत किया गया हो। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के बाद निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या 310/XVIII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 की व्यवस्थानुसार ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना आवश्यक है।
- (च) जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- (छ) दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांगजनों हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/XXX(2)/17/30(5)/2014-TC दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 तथा 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003 दिनांक 25 मार्च, 2011 द्वारा चिकित्साधिकारी(आर्युवेद एवं युनानी) तथा चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) हेतु OA(One Arm Affected), OL(One Leg Affected) या PB (Partially Blind) तथा प्रबंधक स्टेट फार्मसी पद हेतु OA(One Arm Affected) या OL(One Leg Affected) आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।
- (ज) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
- (झ) उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगी, जोकि उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी हो और जिसने आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप में उत्तराखण्ड का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने तथा अन्तिम तिथि के बाद निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराखण्ड महिला के आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु निर्धारित कॉलम पर दावा करना अनिवार्य होगा।

### 13. अति महत्वपूर्ण निर्देश-

- I. अभ्यर्थी लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाईन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।
- II. आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- III. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो।
- IV. अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो।

- v. विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
  - vi. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी, आयु इत्यादि की प्रविष्टियों में किसी प्रकार का संशोधन अथवा परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  - vii. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  - viii. ऑनलाईन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना हाईस्कूल प्रमाण-पत्र, स्नातक उपाधि व अंकतालिका, अनुभव, अतिरिक्त शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र/अधिमानी अर्हता, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड प्रमाण पत्र, लम्बवत् व क्षैतिज आरक्षण तथा स्थायी निवास प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
  - ix. एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन पत्र भरता है तो अभ्यर्थी के इस प्रकार प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
  - x. अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का स्थाई पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी/नवीनीकृत किया होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि किसी अन्य राज्य का हो तो वह मान्य नहीं होगा।
  - xi. अभ्यर्थी के पास राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष अथवा तीन वर्ष, जिस पद हेतु शैक्षणिक अर्हता में जैसा चाहा गया है, की इन्टर्नशिप का प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक के मान्य होंगे।
14. ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-
- I. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर जायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 11 मार्च, 2022 से [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर उपलब्ध रहेगा।
  - II. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने, आवश्यक अभिलेख अपलोड करने तथा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने की अन्तिम तिथि 05 अप्रैल, 2022 (सांय 05:00 बजे) है।
  - III. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।
  - IV. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।
  - v. ऑफलाईन/हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  - VI. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
  - vii. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी उक्त प्रविष्टियों को ठीक कर लें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।
  - viii. अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का स्थाई प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं से सम्बन्धित प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।



IX. अपलोड करने के उपरान्त "You have successfully submitted your application for .....Post" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

15. ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाईन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. Step 1: Registration Profile.
2. Step 2: Application Submission.
3. Step3: Final Submission.

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

1. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
  2. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर Apply Now में जाकर दिये गये लिंक पर क्लिक कर Registration Profile बनाना अनिवार्य होगा।
  3. अभ्यर्थी सर्वप्रथम पोर्टल पर Candidate, Register Here पर क्लिक करें, उसके उपरान्त पदनाम(जिस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है), अभ्यर्थी का नाम, मोबाइल नम्बर तथा वैध ई-मेल आई-डी अंकित करें। आवेदकों को यूजर नेम बनाने के लिए वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नम्बर का होना आवश्यक है। तत्पश्चात् मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई-डी पर प्राप्त ओ0टी0पी0 (One Time Password) अंकित करें। ओ0टी0पी0 (One Time Password) अंकित करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई-डी पर प्राप्त करा दिया जायेगा।
  4. आवेदकों को Online Application Form में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सेव (Save) करना होगा।
  5. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हस्ताक्षर और वांछित प्रमाण पत्र की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
    - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (20 KB to 50 KB) (JPG Format)
    - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (5 KB to 20 KB ) (JPG Format)
    - अन्य वांछित प्रमाण पत्र (100 KB to 300 KB) (PDF Format)
  6. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व निर्धारित स्थान पर अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इन्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, शैक्षिक, अनुभव, स्थाई निवास(यदि हो), जाति प्रमाण पत्र(यदि हो), भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का स्थाई प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र(यदि हो) तथा अन्य प्रमाण पत्र, जो कि अभ्यर्थी द्वारा दावे किए गये हैं, आदि अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
  7. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
  8. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसमें आवेदन अंतिम रूप से जमा नहीं किया है।
16. शुल्क- शासन के पत्र संख्या 332(1)/XXX(2)/2021/55(35)/2003 दिनांक 03 अक्टूबर 2021 के क्रम में आवेदनकर्ताओं से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।
17. यदि चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक) परीक्षा के अन्तर्गत 1500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो वहां साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों की छटनी हेतु दो घण्टे की 100 अंक की आयुर्वेद विषयों से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में National Commission of Indian system of Medicine द्वारा नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न-पत्र का निर्धारण किया जायेगा।

## 18. साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश—

- (1) बोर्ड द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से सम्बन्धित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (2) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों के मूल अभिलेख प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे, साथ ही सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों के 02 स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति सहित बोर्ड कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति मात्र बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जायेगी।

साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना मात्र बोर्ड की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर प्रसारित की जायेगी।
- (3) अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाईन साक्षात्कार हेतु प्रवेश-पत्र बोर्ड की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर जारी किये जायेंगे, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना होगा।
- (4) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिये यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।
- (5) साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन पेजर, ब्लूटूथ, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है।
- (6) अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के दौरान अनुशासित आचरण की अपेक्षा की जाती है।
- (7) **अँगूठे का निशान**—सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (8) साक्षात्कार तिथि, समय के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही साक्षात्कारपरीक्षा देनी होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (10) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (11) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का **“अनापत्ति प्रमाण-पत्र”** मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र शासकीय कार्यालयों का ही मान्य होगा।
- (12) जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी को उक्त श्रेणी के आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

- (13) भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी का भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा तो सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/आवेदन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जायेगा।

#### 19. सामान्य निर्देश—

- (01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/साक्षात्कार परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और साक्षात्कार परीक्षा में बैठें।
- (02) बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (03) साक्षात्कार परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र साक्षात्कार/प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (04) ऑनलाईन मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- (06) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- (07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
- (08) बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञप्ति पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं।
- (09) शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिवास/स्थाई निवास, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे तथा प्रमाण पत्र आवेदन किया हुआ मान्य नहीं होगा।

- (10) कार्य अनुभव 01 वर्ष से कम होने पर उसे पूर्ण वर्ष नहीं माना जायेगा, अर्थात् 12 माह से कम (364 दिन) को 01 वर्ष नहीं माना जायेगा। पूर्ण वर्ष होने पर ही एक वर्ष माना जायेगा।
- (11) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट ([www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org)) के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- (12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण देना होगा।
- (13) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा—
- I. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात्
    - (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना,
    - (ख) अनुचित दबाव डालना, या
  - II. साक्षात्कार परीक्षा में दुर्व्यवहार करना, कक्ष से भाग जाना, साक्षात्कार देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, या
  - III. साक्षात्कार संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, या
  - IV. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही,
    - (क) बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस साक्षात्कार के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा
    - (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
      - A. बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।
      - B. राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है।
- (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही ही जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक
- A. अभ्यर्थी को इस संबन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और
  - B. अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।

### 19. अनुभव प्रमाण पत्र—

अनुभव प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक विभाग/संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो। कृते का उल्लेख करते हुए निर्गत किये हुए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। सक्षम प्राधिकारी विश्वविद्यालय/चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/रजिस्ट्रार/मुख्य

चिकित्सा अधीक्षक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरन्तर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जायेगा। निजी विश्वविद्यालय/चिकित्सालय/संस्था का मान्य नहीं होगा।

20. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

शासनादेश संख्या- 23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

- (ख) आरक्षण में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र एवं अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. परीक्षा पाठ्यक्रम-

चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक एवं यूनानी), चिकित्सा अधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा) एवं प्रबन्धक स्टेट फार्मसी परीक्षा पाठ्यक्रम

कुल अंक:- 100

- बी0ए0एम0एस0 परीक्षा- 10 अंक (समस्त प्रोफेशनल के आधार पर 50.00 प्रतिशत से 54.99 प्रतिशत तक- 05 अंक, 55.00 प्रतिशत अथवा उससे अधिक- 10 अंक)
- एम0डी0(आयु0)/एम0एस0(आयु0)- 10 अंक
- अनुभव- 20 अंक (पूर्ण 01 वर्ष हेतु 02 अंक, अधिकतम- 20 अंक)  
(नोट:-अनुभव राज्य/केन्द्र/स्वायत्तशासी राजकीय चिकित्सालय, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज तथा राजकीय प्रतिष्ठानों के मान्य होंगे। निजी क्षेत्र का अनुभव मान्य नहीं होगा।)
- मौखिक (Viva)- 60 अंक
- यदि चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेदिक) परीक्षा के अन्तर्गत 1500 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो वहां साक्षात्कार से पूर्व अभ्यर्थियों की छटनी हेतु दो घण्टे की 100 अंक की आयुर्वेद विषयों से सम्बन्धित प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। सेवा नियमावली के भाग-6 खण्ड-3 में निहित प्राविधानों के अनुसार "बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक योग्यता, पी0जी0 (एम0डी0(आयु0)/एम0एस0(आयु0), अनुभव तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची तैयार करेगा।"
- प्रारम्भिक परीक्षा में National Commission for Indian system of Medicine द्वारा नवीनतम जारी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न-पत्र का निर्धारण किया जायेगा।
- प्रारम्भिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जायेगा।
- प्रारम्भिक परीक्षा दो घण्टे अवधि की होगी, जिसमें 100 अंकों का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 (एक) अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर हेतु 1/4 (एक चौथाई) ऋणात्मक अंक देय होगा।

- प्रारम्भिक परीक्षा के अंको को चयन हेतु आगणित नहीं किया जायेगा क्योंकि प्रारम्भिक परीक्षा मात्र अभ्यर्थियों की छटनी हेतु की जाती है। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने हेतु धारित नहीं की जायेगी।
  - प्रारम्भिक परीक्षा ऐसे स्थानों पर और दिनांक को और समय पर आयोजित की जायेगी, जैसा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निश्चित किया जायेगा।
22. यदि चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) की प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, तो प्रारम्भिक परीक्षा सम्बन्धी दिशा-निर्देश यथा-समय बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा, जिस हेतु अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें।
23. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, तत्पश्चात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
24. परीक्षा कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में सूचना बोर्ड की वेबसाइट [www.ukmssb.org](http://www.ukmssb.org) पर उपलब्ध कराये जाने वाले विज्ञप्तियों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। किसी अन्य भ्रामक सूचना का प्रसार ना करें। बोर्ड कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों तथा विज्ञप्तियों का अवलोकन करते रहें।

ह0/-  
(गरिमा राँकली)  
सचिव,  
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,  
देहरादून।